ण्न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 94 / 2024 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2024 / 117**

1. जगदीश
2. भगवानाराम
3. मनीराम
4. रायचन्द

पिसरान मलूराम जाति बिश्नोई निवासी रोड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. हेतराम पुत्र हरसुखराम जाति बिश्नोई निवासी रोड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार नोखा।

— रेस्पोन्डेंट

उपस्थितः श्री सीताराम बिश्नोई — अभिभाषक अपीलांट्स
श्री हरिश मदान — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

निर्णय

दिनांक 20.11.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा जिला बीकानेर के निर्णय दिनांक 26.06.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि —

1— अपीलांट की खातेदारी भूमि वाके रोही रोड़ा के खसरा नंबर 1648 / 514 तादादी 0.20 हैक्टयर, खसरा नंबर 2041 / 513 तादादी 9.6235 हैक्टयर खसरा नंबर 512 तादादी 0.11 हैक्टयर में स्थित है जो पुराने खसरा नंबर 95 से कायम किए गए है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम की भूमि वाके रोही रोड़ के खसरा नंबर 1954 / 514 तादादी 0.23 हैक्टयर, खसरा नंबर 1956 / 516 तादादी 0.67 हैक्टयर, खसरा नंबर 511 तादादी 0.15 हैक्टयर, खसरा नंबर 515 तादादी 0.28 हैक्टयर, खसरा नंबर 517 तादादी 1.15 हैक्टयर में अंकित है जिसमें से खसरा नंबर 511 पुराने खसरा नंबर 94 से कायम हुआ है। उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी सयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खेत संख्या

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

511 रकबा 0.15 हैक्टयर भूमि का सीमाज्ञान मय स्थाई पत्थरगढ़ी व तारबन्दी करवाये हेतु उपखण्ड अधिकारी, नोखा के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा ने उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए तहसीलदार नोखा को आदेशित किया कि पत्थरगढ़ी करवावें। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.06.2024 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट की खातेदारी भूमि वाके रोही रोड़ा के खसरा नंबर 1648/514 तादादी 0.20 हैक्टयर, खसरा नंबर 2041/513 तादादी 9.6235 हैक्टयर खसरा नंबर 512 तादादी 0.11 हैक्टयर में स्थित है जो पुराने खसरा नंबर 95 से कायम किए गए है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम की भूमि वाके रोही रोड़ के खसरा नंबर 1954/514 तादादी 0.23 हैक्टयर, खसरा नंबर 1956/516 तादादी 0.67 हैक्टयर, खसरा नंबर 511 तादादी 0.15 हैक्टयर, खसरा नंबर 515 तादादी 0.28 हैक्टयर, खसरा नंबर 517 तादादी 1.15 हैक्टयर में अंकित है जिसमें से खसरा नंबर 511 पुराने खसरा नंबर 94 से कायम हुआ है। पुराना खसरा नंबर 94 की भूमि वर्तमान सड़क के उत्तर में स्थित है तथा पुराना खसरा नंबर 95 की भूमि वर्तमान सड़क के उत्तर व दक्षिण दोनों तरफ स्थित हैं। पुराने खसरा नंबर 95 के अनुसार पच्चासों वर्ष पुराना कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसके चारों तरफ अपीलांट की तारबंदी की हुई है। लेकिन वर्तमान सैटलमैंट में पुराने खसरा नंबर 94 से बने खसरा नंबर 511 को सड़क के दक्षिण में अंकित कर दिया, जिसको आधार पर बनाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय से आदेश जैर अपील पारित करवा लिया जबकि वर्तमान नक्शें में अंकित खसरा नंबर 511 की भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। अपीलांट का पच्चासों वर्ष पुराना कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना आदेश जैर अपील पारित किया है जबकि सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी के प्रकरण में पड़ौसी पक्षकारों को सुना जाना आवश्यक है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के पैरा संख्या 3 में सीमा विवाद होने का अंकन किया है तथा पैरा संख्या 4 में पड़ौसी खातेदारों द्वारा सीमाज्ञान में दिए गए सीमा चिन्हों को इंकार करने का भी अंकिन किया हैं जिससे स्पष्ट था कि मौके पर विवाद है इसलिए प्रभावित पक्षकारों को सुनना

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आवश्यक था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने पड़ौसी पक्षकारों को पक्षकार बनाये बिना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया है। अतः अपील अपीलांट मंजूर फरमाई जाकर आदेश जैर अपील दिनांक 26.06.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा निरस्त फरमाया जावें।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की सयुक्त खोतदारी कृषि भूमि खेत खसरा नंबर क्रमशः 1954/514, 1956/516, 511, 515, 517 कुल किला 5 कुल रकबा 2.4800 हैक्टयर वाके राही रोड़ा तहसील नोखा में स्थित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उक्त वर्णित भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पड़ौसी खातेदारों से कई बार अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 511 रकबा 0.1500 हैक्टयर के सीमाज्ञान करवाने के लिए सहमति हेतु निवेदन किया मगर पड़ौसी खातेदार सहमति से सीमाज्ञान करवाने को सहमत नहीं हुए और आए दिन खेत सीमाओं को लेकर वाद विवाद पैदा होते रहते है। इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के लिए आवश्यक हो गया है कि वह अपनी खातेदारी कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाकर खेत सींव पर स्थाई रूप से पत्थरगढ़ी के चिन्हे लगवाए व तारबंदी करवाए। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की रिकॉर्डेड खातेदारी भूमि खसरा नंबर 511 की 0.1500 हैक्टयर भूमि का सीमाज्ञान करवा लिया है। अपीलांट को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की रिकॉर्डेड खातेदारी भूमि के पत्थरगढ़ी करवाये जाने वाले जैर अपील आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने का अधिकार नही है। अपीलांट को उक्त वादगत भूमि के संबंध में को राहत चाहिए तो उसे सिविल कोर्ट में जाना चाहिए। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तथा अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा ने अपने आदेश दिनांक 26.06.2024 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार कर दिनांक 31.03.2023 को की गई सीमाज्ञान के अनुसार खसरा नंबर 511 रकबा 0.15 हैक्टयर भूमि की पत्थरगढ़ी किए जाने के आदेश जारी किए। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जबकि सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी के प्रकरण में पड़ौसी पक्षकारों को सुना जाना आवश्यक है। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड के

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अनुसार उक्त वादगत भूमि के संबंध में मौके पर विवाद है इसलिए प्रभावित पक्षकारों को सुनना आवश्यक था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने पड़ौसी पक्षकारों को पक्षकार बनाये बिना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.06.2024 निरस्त किया जाता है तथा उक्त प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा उक्त प्रकरण में संबंधित सभी पक्षों को सुनकर एवं पूर्ण जांच कर विधिसम्मत आदेश पारित करें।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 20.11.2025 का लिखिवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर